30/9/22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा में विचाराधीन प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में अप्रार्थी का आना जाना होने के कारण स्थानांतरित करवा लिया तथा पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर प्रकरण में विशेष रूचि लेकर निस्तारण करवाना चाहा तथा नियत दिनांक 24.03.2022 से 28.03.2022 नियत करवा ली। दिनांक 28.03.2022 को पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण में विशेष रूचि लेकर 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना पत्र का बिना जवाब के स्थगन पर सुनना चाहा, प्रार्थीयागण के अभिभाषक द्वारा बिना जवाब बहस सुनने पर आपत्ति करने पर दिनांक 05.04.2022 जवाब हेतु नियत कर दी। इस प्रकार प्रकरण में विशेष रूचि लिये जाने से प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां से न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा में जैरकार प्रकरण वाद संख्या 92/2021 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 76/2021 बउनवान महावीर प्रसाद बनाम मेहरून्निसा वगैरह को न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 3/2022 बउनवान महावीर प्रसाद बनाम मेहरून्निसा वगैरह में दिनांक 03.03.2022 को गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित कर सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2022 को प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में उपस्थित रहने हेतु पाबंद कर स्थानांतरित की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अप्रार्थीगण की तलबी में दिनांक 28.03.2022 नियत कर नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण ने जर्ये अभिभाषक दिनांक 28.03.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. में जवाब प्रस्तुत करने हेतु 2–4 दिन का समय चाहने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2022 जवाब हेतु नियत कर दी। इसी दौराने अप्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् में दिनांक 31.03.2022 को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233 आर.टी.ए. एवं धारा 24 व 151 सी.पी.सी. प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करने के उद्देश्य से पेश कर दिया। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस तथ्य के आधार पर पेश किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के पीठासीन अधिकारी द्वारा जैरकार प्रकरण में अप्रार्थी के पक्ष में विशेष रूप से रूचि ली जा रही है जबकि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे पीठासीन अधिकारी का प्रकरण में विशेष रूचि लिया जाना प्रमाणित हो सके। न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां को स्थानांतरित कर सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2022 नियत की गई। जिस पर नियमानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा प्रकरण में सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण अपने कथन को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के पीठासीन अधिकारी प्रकरण में विशेष रूचि ले रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पारित आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, बारां को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।

1075
10/10/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested